

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/सेवानिवृत्ति/2017/160

दिनांक: 7.4.2017

आदेश

निम्नलिखित कार्मिको द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	जसविन्द्र कौर एलएचवी	सीएमएचओ हनुमानगढ़	19.04.57	30.04.2017
2.	मरियम्मा सेम्यूल एलएचवी	सीएमएचओ झुंझुनू	14.05.57	31.05.2017
3.	उषा कुमारी टी.जी. एलएचवी	सीएमएचओ जयपुर-1	05.06.57	30.06.2017
4.	देवी बेन एलएचवी	सीएमएचओ सिरोही	01.07.57	30.06.2017
5.	कन्कू देवी चौहान एलएचवी	अ.जनाना अस्प. जयपुर	25.07.57	31.07.2017
6.	सीता कुमारी गौड़ एलएचवी	सीएमएचओ बून्दी	10.07.57	31.07.2017
7.	शान्ता कुमारी के.पी. एलएचवी	सीएमएचओ दौसा	09.08.57	31.08.2017
8.	सलोमी एस. एलएचवी	सीएमएचओ सिरोही	17.10.57	31.10.2017
9.	एलियम्मा सी.जे. एलएचवी	सीएमएचओ अलवर	29.10.57	31.10.2017
10.	गीता वर्मा एलएचवी	सीएमएचओ दौसा	16.11.57	30.11.2017
11.	देवयानी पी.बी. एलएचवी	सीएमएचओ सीकर	03.11.57	30.11.2017
12.	महिला मणी सी.के. एलएचवी	सीएमएचओ बाड़मेर	09.11.57	30.11.2017
13.	चाची कुट्टी एम.एम. नर्स-2	अ.म.बी.एस. चिकि. कोटा	18.11.57	30.11.2017
14.	सोसम्मा एम.जे. एलएचवी	सीएमएचओ टोंक	21.11.57	30.11.2017
15.	रमीला जैन एलएचवी	सीएमएचओ डूंगरपुर	01.12.57	30.11.2017
16.	अरुणा देवी एलएचवी	सीएमएचओ डूंगरपुर	08.07.57	31.07.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिको के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(रामनिवास जाट)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/सेवानिवृत्ति/2017/160

दिनांक: 7.4.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ओडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. अधीक्षक, जनाना अस्पताल (जयपुर)/एम.बी.एस. चिकित्सालय (कोटा)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़/झुंझुनू/जयपुर प्रथम/सिरोही/बून्दी/
/दौसा/अलवर/सीकर/बाड़मेर/टोंक/डूंगरपुर।
4. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)/पिण्डवाड़ा (सिरोही)/नैनवा (बून्दी)/
दौसा(दौसा)/लक्ष्मणगढ़ (अलवर)/फतेहपुर (सीकर)/सिवाना (बाड़मेर)/बिछीवाड़ा (डूंगरपुर)।
6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय भादरा (हनुमानगढ़)।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, आबूरोड़ (सिरोही)/उनियारा (टोंक)/प्रा0स्वा0
केन्द्र मोकलसर (बाड़मेर)।
8. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर आज
ही अपलोड करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।


(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर